...Bungalow Road, Patna.

Date:- 18-09-2012

M/S SWARANI HOMES PVT. LTD. THROUGH ITS DIRECTOR
SRI ALOK KUMAR S/O SRI P. SINGH

Subject :- Approval of Building Plan - AT MAUZA – SARARI, THANA NO. – 44, PLOT NO. – 1406,1426,1427,1441,1423,1409,1424,1422, 1408,1425, KHATA NO .- 166,126,129,158,166, TAUZI – BIHAR SARKAR, THANA – DANAPUR, DIST. – PATNA.

Nagar Nigam /Parishad / Panchayat.

Reference: Your Plan Case No: - 43276/22/R-B+G+7-02/18-09-2012/NPK

Permission to erect/reerect, addition /alteration of aRESIDENTIAL..... Building Type.

The permission is here by granted subjected to the following conditions:

1. That you will abide by the Rules and Regulation of correspondingly Urban Local Body.
2. That you will get the setbacks of your Building Checked at plinth level and shall obtain /submit a DPC certificate from competent person before further work.
3. The responsibility of the structural design and structural stability of the building shall be solely of the supervising Architect/Engineer/Owner. The owner shall ensure to make adequate provisions in buildings structure to meet the requirement of earthquake resistance standards.
4. The owner shall be entirely responsible for making adequate provision for fire safety as per NBC rules.
5. The validity of building Plans is for three years only from the date of approval.
6. You will obtain occupation certificate before occupying the above said building from the competent authority.
7. This sanction will be invalid if the conditions aforesaid are complied with.

18/09/12
PAWAN KUMAR
CERTIFIED ARCHITECT
Enrolment No. 22/2012-13

Ar.Pawan Kumar
Cretified architect

Encl: Two Set of Sanctioned building Plans.
Cc: To The Exective officer Nagar Parisad Khagaul with one set of documents and sanctioned drawings.

यथा संशोधित दिनांक– से प्रभावी
एनेक्सचर - 'बी'

Provisional

पटना नगर निगम

कार्यालय : पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)

योजना प्रतिवेदन (प्लानिंग रिपोर्ट)

प्रा० :– आवेदन संख्या : 68 65 74 तिथि : 29/6/12

1. आवेदक का नाम : Agrani Hom pvt LTD

2. प्रोपर्टी का विवरण :

जिला : patna, थाना सं. : 44

सर्वे (खेसरा) प्लॉट सं. : 1406, 1426, 1427, 1424, 1423, 1422, 1408, 1409, 1425, शीट सं. :

म्युनिसिपल प्लॉट सं. :

मौजा/वार्ड सं. : Saraya, सड़क/मुहल्ला :

जोन का नाम : S. West, सेक्टर सं. :

प्रोपर्टी का लोकेशन : Saraya

प्लॉट का रकबा : 79 Kattha वर्गमीटर

3. क्या प्लॉट किसी सरकारी अंडरटेकिंग/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/ हाउसिंग बोर्ड/खास महल द्वारा आवंटित है : NO हाँ/नहीं।

यदि हाँ, तो आवंटित करने वाले प्राधिकार का नाम : N/A

कॉलोनी का नाम : N/A, प्लॉट सं. : N/A

4. क्या प्लॉट किसी गृह निर्माण सहयोग समिति के जमीन का अंश है : NO LAS for APP) हाँ/नहीं।

यदि हाँ, तो क्या गृह निर्माण सहयोग समिति के जमीन का ले-आउट प्लॉन स्वीकृत है : NO हाँ/नहीं।

यदि हाँ, तो ले-आउट प्लॉन केस सं. : N/A, प्लॉट सं. : N/A

5. की-प्लॉन (Key Plan) संलग्न है : YES हाँ/नहीं।

6. क्या आवेदक का प्लॉट –

(क) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी अंडरटेकिंग या किसी अन्य एजेन्सी द्वारा अधिग्रहित जमीन का अंश है : NO हाँ/नहीं।

(ख) पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा घोषित प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्र पड़ता है : NO हाँ/नहीं।

(ग) पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी अंडरटेकिंग के किसी योजना (स्कीम) से प्रभावित है : NO हाँ/नहीं।

(घ) खास महल जमीन का अंश है : NO हाँ/नहीं।

(ङ) किसी गृह निर्माण सहकारी समिति के जमीन, जिसका ले-आउट स्वीकृत नहीं है, का अंश है : NO हाँ/नहीं।

7. कंडिका (6) में वर्णित किसी भी बिन्दुओं का उत्तर यदि हाँ है तो सक्षम प्रदाधिकारी से अनुमति पत्र प्राप्त कर बिल्डिंग प्लान आवेदन पत्र के साथ समर्पित करेंगे।

नोट :– (क) राजपत्र अधिसूचना की एक छाया प्रति जिसमें प्लॉट को अधिग्रहण से मुक्त किया गया है। (6 'क' के संदर्भ में लागू)

(ख) पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार/राज्य सरकार से अनुमति पत्र। (6 'ख' के संदर्भ में लागू)

(ग) बिल्डिंग प्लान समर्पित नहीं किया जा सकता है। (6 'ग' के संदर्भ में लागू)

(घ) जिलाधिकारी का अनुमति पत्र। (6 'घ' के संदर्भ में लागू)

(ङ) बिल्डिंग प्लान समर्पित नहीं किया जा सकता है। (6 'ङ' के संदर्भ में लागू)

8. पटना के महायोजना के अनुसार प्लॉट का प्रस्तावित भूमि उपयोग Residential है।

9. क्या प्लॉट प्रस्तावित महायोजना सड़क मे प्रभावित है : NO हाँ/नहीं।

यदि हाँ तो क्या प्लान में विवरण दर्शाया गया है : NO हाँ/नहीं।

10. क्या कोई सर्वे सड़क/ सर्वे डगर/ पैईन उक्त प्लॉट से होकर गुजरता है या प्लॉट में स्थित है : YES हाँ/नहीं।

क्या प्लॉट पैईन की मूल कैडेस्ट्रल/ म्युनिसिपल नक्शा के अनुसार चौड़ाई : As per Survey sheet

अगर प्लॉट का रकबा 250 वर्ग मीटर तक है तो 70 प्रतिशत

अगर प्लॉट का रकबा 250 वर्ग मीटर से अधिक एवं 1000 वर्ग मीटर तक है तो 60 प्रतिशत

अगर प्लॉट का रकबा 1000 वर्ग मीटर से अधिक है तो 50 प्रतिशत

14. (क) यह प्लॉट एयरपोर्ट प्राधिकरण के परिपत्र के अनुसार Green Zone जोन में पड़ता है एवं भवन की सामान्य अनुमान्य ऊँचाई 23 Mtr मीटर है ।

(ख) यह प्लॉट पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) के कार्यालय आदेश संख्या-94/02 दिनांक-13.06.02 से प्रभावित है/नहीं है ।

अगर प्लॉट, पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) के कार्यालय आदेश सं.-94/02 दिनांक-13.06.02 से प्रभावित है तो भवन की अधिकतम अनुमान्य ऊँचाई 11 मीटर होगी ।

नोट :- अगर प्लॉट कंडिका-14 (ख) से प्रभावित नहीं है और आवेदक कंडिका-14 (क) में वर्णित सामान्य अनुमान्य ऊँचाई से अधिक ऊँचाई का भवन निर्माण करना चाहता है या प्लॉट रेड जोन में पड़ता है तो एयरपोर्ट प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा एवं इसके लिए भवन की ऊँचाई में छत पर निर्मित सभी निर्माण यथा-पानी, टंकी, सीढ़ीघर, ममटी, लिफ्ट, मशीन रूम आदि में जिसकी ऊँचाई सबसे अधिक है, शामिल होगा ।

15. विकास शुल्क (उत्तरी श्रीकृष्णापुरी योजना) के रूप में मो. रु. प्रति कट्ठा की दर से देय है/ नहीं देय है ।

16. यह योजना प्रतिवेदन आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना एवं पटना नगर निगम, कार्यालय-पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर तैयार किया गया है ।

30/6/12

ड्राफ्ट्समैन का हस्ताक्षर

तिथि :

पटना नगर निगम

कार्यालय-पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)

17. ~~इस योजना प्रतिवेदन में निहित सभी प्रविष्टियों की जाँच एवं सत्यापन मेरे द्वारा किया गया है ।~~

सहायक निदेशक का हस्ताक्षर

तिथि :

पटना नगर निगम

कार्यालय-पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)।

ज्ञाप संख्या - 6237 /प.क्षे.वि.प्रा. (अर्बन प्लानिंग), पटना, तिथि - 7-9-12

उपनिदेशक का हस्ताक्षर

तिथि :

पटना नगर निगम

कार्यालय-पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)।

30/6/12

निदेशक का हस्ताक्षर

तिथि :

पटना नगर निगम

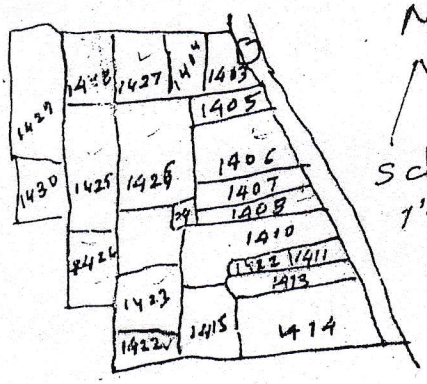
कार्यालय-पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)।

30/6/12

(67)

918 APP-6574

KEY PLAN OF MAUZA-SARARI
JH. 'A' NO-44, PLOT NO-1406, 1426, 1427, 1424, 1423, 1422, 1408, 1409, 1425



N

Scale
1" = 330'-0"

30/6/12
SIG. OF DIR.

30/6/12
SIG. OF DIR.

यथा संशोधित दिनांक– से प्रभावी
एनेक्सचर - 'बी'

165

Provisional

पटना नगर निगम

कार्यालय : पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)

योजना प्रतिवेदन (प्लानिंग रिपोर्ट)

प्रसंग :– आवेदन संख्या : BB 65774 तिथि : 29/6/12

1. आवेदक का नाम : Agrani Home pvt LTD
2. प्रोपर्टी का विवरण :

जिला : patna,
सर्वे (खेसरा) प्लॉट सं. : 1406, 1426, 1427, 1424, 1423, 1422, 1408, 1409, 1425 थाना सं. : 44
म्युनिसिपल प्लॉट सं. :, शीट सं. :
मौजा/वार्ड सं. : Saraya, सड़क/मुहल्ला :
जोन का नाम : S. West, सेक्टर सं. :
प्रोपर्टी का लोकेशन : Saraya
प्लॉट का रकबा : 79 Kattha वर्गमीटर

3. क्या प्लॉट किसी सरकारी अंडरटेकिंग/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/ हाउसिंग बोर्ड/खास महल द्वारा आवंटित है : NO हाँ/नहीं।
यदि हाँ, तो आवंटित करने वाले प्राधिकार का नाम : N/A
कॉलोनी का नाम : N/A, प्लॉट सं. : N/A
4. क्या प्लॉट किसी गृह निर्माण सहयोग समिति के जमीन का अंश है : NO (As per Appl.) हाँ/नहीं।
यदि हाँ, तो क्या गृह निर्माण सहयोग समिति के जमीन का ले-आउट स्वीकृत है : NO हाँ/नहीं।
यदि हाँ, तो ले-आउट प्लान केस सं. : N/A, प्लॉट सं. : N/A
5. की-प्लान (Key Plan) संलग्न है : YES हाँ/नहीं।
6. क्या आवेदक का प्लॉट –
(क) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी अंडरटेकिंग या किसी अन्य एजेन्सी द्वारा अधिग्रहित जमीन का अंश है : NO हाँ/नहीं।
(ख) पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा घोषित प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्र पड़ता है ; NO हाँ/नहीं।
(ग) पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी अंडरटेकिंग के किसी योजना (स्कीम) से प्रभावित है : NO हाँ/नहीं।
(घ) खास महल जमीन का अंश है : NO हाँ/नहीं।
(ङ) किसी गृह निर्माण सहकारी समिति के जमीन, जिसका ले-आउट स्वीकृत नहीं है, का अंश है : NO हाँ/नहीं।
7. कंडिका (6) में वर्णित किसी भी बिन्दुओं का उत्तर यदि हाँ है तो सक्षम पदाधिकारी से अनुमति पत्र प्राप्त कर बिल्डिंग प्लान आवेदन पत्र के साथ समर्पित करेंगे।

नोट :– (क) राजपत्र अधिसूचना की एक छाया प्रति जिसमें प्लॉट को अधिग्रहण से मुक्त किया गया है। (6 'क' के संदर्भ में लागू)
(ख) पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार/राज्य सरकार से अनुमति पत्र। (6 'ख' के संदर्भ में लागू)
(ग) बिल्डिंग प्लान समर्पित नहीं किया जा सकता है। (6 'ग' के संदर्भ में लागू)
(घ) जिलाधिकारी का अनुमति पत्र। (6 'घ' के संदर्भ में लागू)
(ङ) बिल्डिंग प्लान समर्पित नहीं किया जा सकता है। (6 'ङ' के संदर्भ में लागू)

8. पटना के महायोजना के अनुसार प्लॉट का प्रस्तावित भूमि उपयोग Residential है।
9. क्या प्लॉट प्रस्तावित महायोजना सड़क से प्रभावित है : NO हाँ/नहीं।
यदि हाँ तो क्या प्लान में विवरण दर्शाया गया है : NO हाँ/नहीं।
10. क्या कोई सर्वे सड़क/ सर्वे ड्रेन/ पैईन उक्त प्लॉट से होकर गुजरता है या प्लॉट में स्थित है : YES हाँ/नहीं।

13. अधिकतम अनुमान्य कवरेज :

अगर प्लॉट का रकबा 250 वर्ग मीटर तक है तो 70 प्रतिश.

अगर प्लॉट का रकबा 250 वर्ग मीटर से अधिक एवं 1000 वर्ग मीटर तक है तो 60 प्रतिश.

अगर प्लॉट का रकबा 1000 वर्ग मीटर से अधिक है तो 50 प्रतिशत

14. (क) यह प्लॉट एयरपोर्ट प्राधिकरण के परिपत्र के अनुसार G.Zone जोन में पड़ता है एवं भवन की सामान्य अनुमान्य ऊँचाई 23 Mtrs मीटर है ।

(ख) यह प्लॉट पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) के कार्यालय आदेश संख्या-94/02 दिनांक-13.06.02 से प्रभावित है/नहीं है ।

अगर प्लॉट, पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) के कार्यालय आदेश सं.-94/02 दिनांक-13.06.02 से प्रभावित है तो भवन की अधिकतम अनुमान्य ऊँचाई 11 मीटर होगी ।

नोट :- अगर प्लॉट कंडिका-14 (ख) से प्रभावित नहीं है और आवेदक कंडिका-14 (क) में वर्णित सामान्य अनुमान्य ऊँचाई से अधिक ऊँचाई का भवन निर्माण करना चाहता है या प्लॉट रेड जोन में पड़ता है तो एयरपोर्ट प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा एवं इसके लिए भवन की ऊँचाई में छत पर निर्मित सभी निर्माण यथा-पानी, टंकी, सीढ़ीघर, ममटी, लिफ्ट, मशीन रूम आदि में जिसकी ऊँचाई सबसे अधिक है, शामिल होगा ।

15. विकास शुल्क (उत्तरी श्रीकृष्णापुरी योजना) के रूप में मो. रु. प्रति कट्ठा की दर से देय है/ नहीं देय है ।

16. यह योजना प्रतिवेदन आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना एवं पटना नगर निगम, कार्यालय-पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर तैयार किया गया है ।

30/6/12

डाफ्टसमैन का हस्ताक्षर

तिथि :

पटना नगर निगम

कार्यालय-पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)

17. ~~इस योजना प्रतिवेदन में निहित सभी प्रविष्टियों की जाँच एवं सत्यापन मेरे द्वारा किया गया है ।~~

सहायक निदेशक का हस्ताक्षर

तिथि :

पटना नगर निगम

कार्यालय-पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)।

ज्ञाप संख्या - 6237 /प.क्षे.वि.प्रा. (अर्बन प्लानिंग), पटना, तिथि - 7-9-12

उपनिदेशक का हस्ताक्षर

तिथि :

पटना नगर निगम

कार्यालय-पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)।

30/6/12

निदेशक का हस्ताक्षर

तिथि :

पटना नगर निगम

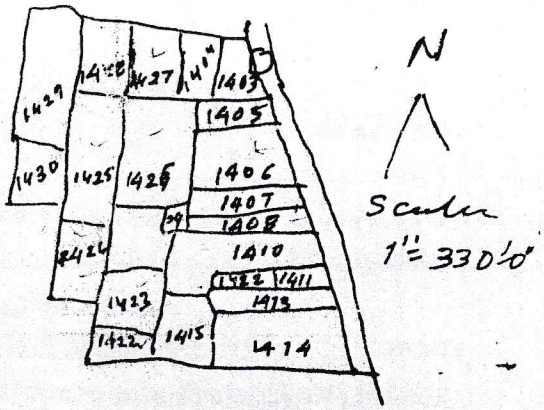
कार्यालय-पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)।

30/6/12

918

APP-6674

KEY PLAN OF MAUZA-SARARI
TH. 'A NO-44, PLOT NO-1406, 1426
1427, 1424, 1423, 1422, 1408, 1409, 1425



30/6/12
SIG. OF DIA.

30/6/12
SIG. OF DIA.